

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज

देवेन्द्र सिंह बनाम रूप कर्कर वी सन् 2010
नं. 34

किस्म मुकदमा पुर्वनापक्ष

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की
में जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
10-3-22	(पत्रावली पेश हुई। वकलाय फादर उप./अनुपस्थित। पीठालीन अधिकारी दोरे/अन्य कारणों से अटल/मीटिंग में है। पत्रावली अतिम कार्यवाही हेतु दिनांक. 11-4-22 को पेश हो
11.04.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण, वकील अप्रार्थीगण व पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील प्रार्थीगण, वकील अप्रार्थीगण व पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील प्रार्थीगण, वकील अप्रार्थीगण व पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


(दिलीप सिंह)
11/04/22
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

